



निष्पादित

FORM OF ORDER SHEET

In the Court of the Sub Divisional Magistrate,  
Porahat Chakradharpur.

Miss Case No. 143/2024

वसन्ती केसरा  
- वनाम -  
देवेन महली

U/S 107/113/116 (III) Cr. P.C.

Date of Order	Order with the Signature of the Court	Office action
16.12.2024	<p>Perused the Police report of a S.I. of Police..... <u>दोड़ली</u> Police Station/petition of the petitions/S.D.O./C.O. ....  <u>चक्रधरपुर</u> for taking action U/s 107/113/116 III Cr.P.C. against the member of the <u>दोड़ली खाना अग्रामसिद्धी का 14/2024 प्रमम पत्र</u> <u>वसन्ती केसरा</u> <u>दोड़ली पत्र</u> <u>देवेन महली</u></p> <p>parties whereas on persual of the Police report, petition. I feel satisfaction that there exists serious apprehension of breach of the peace at the instant of the member of <u>वनाम</u> party due to <u>वसन्ती केसरा</u> <u>देवेन महली</u></p> <p>and that prevention of which is urgently required. I in exercise of my power u/s 107 Cr.P.C. do hereby call upon the member of ..... parties to appear before me on <u>05.01.2022</u> and file their show cause and to why should not be ordered to execute bond of 50,000/- with two securities of the like amount each to keep peace for a period of one year.</p>	<p>22.01.2022  07.02.2022  22.02.2022  09.03.2022  25.03.2022  12.04.2022  05.05.2022  31.05.2022  14.06.2022  05.07.2022  22.07.2022  12.08.2022  27.08.2022  21.09.2022  17.08.2022  22.10.2022  16.11.2022  06.12.2022</p>
	<p>Sub-Divisional Magistrate  Porahat, Chakradharpur.  <u>16.12</u></p>	

05.01.2022 आमिलेख उपलब्धित। प्रथम पक्ष के सदस्य ①  
कसंगी केसरा कवालयनमा के साथ उपस्थित।  
द्वितीय पक्ष के सदस्य ① देवेन माइली कवालयनमा  
के साथ उपस्थित। आमिलेख दिनांक- 22.01.2022  
की उपलब्धित है।

22.01.2022 आमिलेख उपलब्धित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।  
प्रथम पक्ष के सदस्य ① कसंगी केसरा उपस्थित।  
पीठासीन पदा उन्नत कार्य में व्यस्त है। आमिलेख  
दिनांक- 07.02.2022 की उपलब्धित है।

07.02.2022 आमिलेख उपलब्धित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित।  
पीठासीन पदा उन्नत कार्य में व्यस्त है। आमिलेख  
दिनांक- 27.02.2022 की उपलब्धित है।

22.02.2022 आमिलेख उपलब्धित। प्रथम पक्ष के सदस्य अनु-  
पस्थित। पीठासीन पदा उन्नत कार्य में व्यस्त है।  
आमिलेख दिनांक- 09.03.2022 की उपलब्धित  
है।

09.03.2022 आमिलेख उपलब्धित। प्रथम पक्ष के सदस्य अनुपस्थित।  
पीठासीन पदा उन्नत कार्य में व्यस्त है। आमिलेख  
दिनांक- 25.03.2022 की उपलब्धित है।



25-03-2022 आभिलेख उपलब्ध। उमय पक्ष की सदस्य अनुपस्थित।  
पीठासन पदा समय कार्य में व्यत है। आभिलेख  
दिनांक 12-04-2022 की उपलब्ध करे।

12-04-2022 आभिलेख उपलब्ध। उमय पक्ष अनुपस्थित।  
आभिलेख दिनांक 05-05-2022 की उपलब्ध करे।

05-05-2022 आभिलेख उपलब्ध। उमय पक्ष की सदस्य  
अनुपस्थित। पीठासन पदा समय कार्य में व्यत  
है। आभिलेख दिनांक 31-05-2022 की उपलब्ध  
करे।

31-05-2022 आभिलेख उपलब्ध। उमय पक्ष की सदस्य  
अनुपस्थित। पीठासन पदा समय कार्य में व्यत  
है। आभिलेख दिनांक 14-06-2022 की उपलब्ध  
करे।

14-06-2022 आभिलेख उपलब्ध। उमय पक्ष की सदस्य  
अनुपस्थित। पीठासन पदा समय कार्य में व्यत  
है। आभिलेख दिनांक 05-07-2022 की उपलब्ध  
करे।

05-07-2022 आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के सदस्य अनुपस्थित। पीठासीन पक्ष अन्य कार्य में व्यस्त है। आभिलेख दिनांक 22-07-2022 को उपस्थापित करें।

22-07-2022 आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के अनुपस्थित। पीठासीन पक्ष अन्य कार्य में व्यस्त है। आभिलेख दिनांक 12-08-2022 को उपस्थापित करें।

12-08-2022 आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के सदस्य अनुपस्थित। पीठासीन पक्ष अन्य कार्य में व्यस्त है। आभिलेख दिनांक 27-08-2022 को उपस्थापित करें।

27-08-2022 आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठासीन पक्ष अन्य कार्य में व्यस्त है। आभिलेख दिनांक 21-09-2022 को उपस्थापित करें।

21-09-2022 आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। आभिलेख दिनांक 07-10-2022 को उपस्थापित करें।

07-10-2022 आभिलषित उपस्थित / सम्यक व सरल अनुपस्थित / पीठासीन पदा सम्यक व सरल है। आभिलषित दिनांक 27-10-2022 की उपस्थित रहे।

22-10-2022 आभिलषित उपस्थित / सम्यक व सरल अनुपस्थित / पीठासीन पदा सम्यक व सरल है। आभिलषित दिनांक 16-11-2022 की उपस्थित रहे।

16-11-2022 आभिलषित उपस्थित / सम्यक व अनुपस्थित / पीठासीन पदा सम्यक व सरल है। आभिलषित दिनांक 06-12-2022 की उपस्थित रहे।

06-12-2022 आभिलषित उपस्थित / सम्यक व अनुपस्थित /

Both the parties are absent. The case to be dropped as over 6 months which is the statutory time limit.

Ⓟ

06/12/22